संख्या-261/2020/567/22-2-2020-17(171)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2020***

विषय:- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामनेवाज पुत्र श्री भाई लाल, निवासी जनपद-बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामनेवाज पुत्र श्री भाई लाल, जो बक्सूपुर, थाना-दरियाबाद, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 27.01.2004 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-164/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-09 बाराबंकी के आदेश दिनांक 14.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 31.05.2011 द्वारा यथावत रखा गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, समयपूर्व रिहाई उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- क्रिमि0 अपील संख्या-1495-1497/2014 राम अवध उर्फ नान्हू व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामनेवाज (बन्दी संख्या-287/2008) पुत्र श्री भाई लाल, निवासी जनपद-बाराबंकी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-261/2020/567(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in